

# मय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

2025/1915

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 08.05.25

अप्रार्थीगण

हेमाराम 2 कुशलाराम 3  
पिलाराम पिसरान  
अर्जुनराम जाति मेघवाल  
निवासी देशलाणियों की  
ढाणी तहसील बाड़मेर  
ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 चौखाराम पुत्र दीपाराम  
वगैराह जाति मेघवाल निवासी  
देशलाणियों की ढाणी तहसील  
बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 479/2024

दिनांक- 28/04/25

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा देशलाणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र केरली नाडी हाजाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर भूमि खसरा संख्या 2482/2318 रकबा 2.7734 हेक्टर, खसरा संख्या 2483/2318 रकबा 2.7734 हेक्टर, खसरा संख्या 2484/2318 रकबा 2.7734 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

  
(वीरमा राम)  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1916-1919

दिनांक- 08.05.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी केरली नाडी हाजाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण हेमाराम पुत्र अर्जुनराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी देशलाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण चौखाराम पुत्र दीपाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी देशलाणियों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

  
  
उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर